नागपुर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

*308. **श्री दत्ता मेघे:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर विमानपत्तन का भू-स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के पास है;

(ख) क्या उपर्युक्त विमानपत्तन के आधुनिकीकरण और विस्तार पर विचार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ किसी प्रकार का पत्राचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) से (घ) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। नागपुर हवाई अड्डे की भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है। तथापि, वर्ष 1987 में 288.74 एकड़ भूमि भारतीय वायु सेना को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दी गई थी जिसे वर्ष 1993 के डिफेंस लैंड में परिवर्तित कर दिया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) नागपुर हवाई अड्डे पर मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर और कार्गो के निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना के मध्य पत्र-व्यवहार किए गए हैं।

Modernization of Nagpur Airport

†*308. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether land ownership of Nagpur Airport is with the Ministry of Defence;

(b) whether modernization and expansion of the said airport has been contemplated;

(c) whether any correspondence has been undertaken with the Ministry of Defence in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI RAJIV PRATAP RUDI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir, Land of Nagpur Airport belongs to Airports Authority of India (AAI). However 288.74 acres of land was given to IAF in 1987 on 30 years lease which was converted into defence land in 1993.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Correspondence have been made between Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defence and Indian Air Force regarding exchange of land between Indian Air Force and Airports Authority of India to construct the Multi Modal International Passenger and Cargo Hub at Nagpur.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने, सरकार ने नागपुर हवाई अड्डे पर आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए क्या सरकार ने कोई आवश्यक नीति अपनाई है और इस प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इस संबंध में जो आपने पत्र-व्यवहार किया, जब मैंने पूछा कि क्या पत्र-व्यवहार हुआ तो उत्तर दिया गया कि पत्र-व्यवहार हुआ, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस पत्र-व्यवहार में नागपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के बारे में आपने क्या सोचा है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि अभी क्या-क्या प्रस्ताव और सुविधाएं उपलब्ध हैं नागपुर हवाई अड्डे में, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मूल रूप से अभी जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं नागपुर हवाई अड्डे पर, उसमें तमाम उपकरण जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आवश्यक हैं जैसे डीडीओआर, डीएमई, डीएलएफ साथ ही और जितने प्रकार के संयंत्र हैं, वे नागपुर में उपलब्ध हैं। अभी जो प्रस्ताव नागपुर एयरपोर्ट के लिए हैं, उसमें रनवे का स्ट्रेंथनिंग है, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसके साथ-साथ इनर पैरीमीटर रोड और फ्लाइट डाटा प्रोसैसिंग सिस्टम वगैरह लगाना है ट्रैफिक कंट्रोल में।

आपने जो प्रश्न पूछा है, उसमें मूल रूप से आपका प्रश्न है कि नागपुर में जो कार्गो हब बनाया जाना है, उसकी स्थिति क्या है और डिफेंस के साथ इस संदर्भ में क्या वार्ता हुई है? महोदय, नागपुर का यह हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया का है, जिसमें एयरपोर्ट को वर्ष 1987 में लगभग 30 वर्ष की लीज़ पर जमीन दी गई थी जिसे फाइनली डिफेंस को 1993 में दे दिया गया। जो कॉरिसपोंडेंस किया गया है, तब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन ने यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया कि हम यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्गो के लिए बनाना चाहते हैं तो यह तय

किया गया कि एयरफोर्स को कुछ जमीन, जो एयरपोर्ट अथारिटी की है, उसे एक्सचेंज करके दी जाए और जो एयरपोर्ट की वर्तमान जमीन है, वह इस नए हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल बनाने के काम में ली जाएगी, उस संदर्भ में वार्ता हुई है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ड्यू डिलिजंस करके, पूरा सर्वे करके, ज्वाइंट सर्वे करके केन्द्र सरकार के पास वापिस आए। हम सब भारत सरकार और एयरपोर्ट अथारिटी एक रुपए की लीज़ पर यह एयरपोर्ट राज्य सरकार को देने के लिए तैयार हैं।

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मैं कार्गो हब के बारे में क्वेश्चन पूछने ही वाला था। कार्गो हब बनाने की दो-तीन साल से बहुत चर्चा है। महाराष्ट्र सरकार ने दो-तीन बार इस बारे में आपसे पत्र व्यवहार भी किया है। तो यह कार्गो हब जो बनना है, उसके लिए मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कार्गो हब के लिए शहर से लगता हुआ जो एरिया है, जहां मकान बने हुए हैं, हजारों लोग रहते हैं, पहले तो हजारों लोगों के मकान गिराने का प्रस्ताव था, वे मकान न गिराकर उसके साथ लगी हुई जो बाकी जगह है, उसे लेकर यह कार्गो हब आप कितने दिनों या कितने महीनों में पूरा करेंगे?

श्री राजीव प्रताप रूड़ी: सभापति महोदय, राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी दे दी गई है, ज्वाइंट सर्वे करके, डिलिजंस रिपोर्ट बनाकर, फैसिलिटी रिपोर्ट के आधार पर वे एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को देंगे, उस के पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, चर्चा एक अरसे से है कि नागपुर हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने का प्रस्ताव है। मंत्री जी ने साफ-साफ बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, ड्यू डिलिजंस चल रहा है। लेकिन नागपुर वालों के मन में एक सवाल है कि यह कब तक होगा या ऐसे ही इस बारे में हवा-बाजी चल रही है?

दूसरी बात, इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का अगर एयरपोर्ट बनाना है तो उसमें बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। नागपुर एयरपोर्ट के आसपास इतनी जगह नहीं है कि एक इंटरनेशल स्टेंडर्ड के एयरपोर्ट के तौर पर वह डेवलप हो सके। यही सवाल मेरे ख्याल से श्री दत्ता मेघे जी पूछ रहे थे और आपने उसको पता नहीं समझा या नहीं या फिर उसको टालने की कोशिश की।

तीसरी बात मैं यह पूछने जा रहा हूं कि नागपुर से हज की फ्लाइट्स अभी पहली बार पिछले साल शुरू की गई थी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जो हज का पूरा ऑपरेशन था, अगर उसका ब्यौरा दे सकें तो बहुत कृपा होगी-कितना लाभ में था, कितना नुकसान में था, क्या-क्या हुआ, कितनी फ्लाइट्स थीं, कितने पैसेंजर थे?

श्री सभापति: यह क्वेश्चन से संबंधित नहीं है।

श्री संजय निरुपम: महोदय, मैं नागपुर एयरपोर्ट के संदर्भ में ही पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: मंत्री जी ने बता दिया है जो कुछ बताना था।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, जहां तक श्री संजय निरुपम जी का प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: छोड़िए आ गया है क्वेश्चन का जवाब। नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नं॰ 309।

Equity shares against Foreign Commercial Borrowings

*309. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have allowed the companies to issue equity shares against all Foreign Commercial Borrowings; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As part of the ongoing process of liberalisation, Government has permitted issue of equity shares against External Commercial Borrowings (ECBs) received in convertible foreign currency subject to meeting all applicable tax liabilities and procedures.

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति जी, मेरा प्रश्न इतना भी छोटा नहीं था कि मंत्री जी उसका उत्तर इतना छोटा देते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुम्बई में जो कारपोरेट हाउसेज़ हैं, मार्केट के जो आपरेटर्स हैं वे अपनी-अपनी सुविधाओं के हिसाब से इस देश में आर्थिक नीतियां बनवाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के प्रभाव में नहीं आते। जैसे-एक ई.सी.बी. रूट को लेकर के एक प्रकार का परमीशन था अचानक उसके ऊपर एक रेसट्रेक्शन लगा दिया गया। परमीशन क्यों दी गई, यह हमारी समझ में नहीं आया, इससे देश को क्या फायदा हुआ? अगर कारपोरेट हाउसेज को छोड़ दें तो देश को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब जो परमीशन को रेसट्रिक्ट किया गया, इसको प्रतिबंधित किया गया, तो उससे देश को क्या फायदा है, यह भी समझ में नहीं आता है? आखिर कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की नीतियां बनवाते हैं? उनसे लाभान्वित होते हैं? और आखिरकार इससे देश को क्या फायदा होता है?